



## भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व

अमिता मीना

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर (राज.)

**प्रस्तावना** - आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान है। यह प्रजातंत्रिय शासन प्रणाली महिला एवं पुरुषों दोनों की उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको आमामनव के अध्यात्म जीवन से जोड़ते हैं, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाल ही में जारी की गई जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, इसमें 58.64 करोड़ महिलाएँ हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वावलंबी बनाए बिना सशक्त भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। समय के साथ उसकी स्थितियों में परिवर्तन आया है। वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी मजबूत और प्रतिष्ठापूर्ण थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी स्थिति में बदलाव होने लगा। वक्त की आँधी ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर व बेबसीपूर्ण स्थिति में पहुँचा दी। वैदिक काल में पुरुषों की सभा में शास्त्रार्थ करने वाली महिला के कालखण्ड में घर की चारदीवारी के बीच कैद रहने वाली और पुरुषों के पैर की जूती तक बना दी गई। मध्यकाल में उनकी स्थिति दयनीय हो गई, जब कि आधुनिक काल में महिलाएँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। अपने हिस्से का आसमा लेने के लिए प्रयासरत हैं।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात् भारतीय समाज में जो बदलाव आया है इसके पश्चात् महिला शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाई-चारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कानून बनाए हैं। संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरुद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किए हैं। कानून के ढाँचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी इतिहास बहुत पुराना रहा है। 20वीं सदी से भारतीय संस्था, राष्ट्रीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला संघ जैसी अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ।

**महिलाओं के लिए आरक्षण** - जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी दसरी तरह का प्रावधान करने को आगे आए और उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की रुचि, जागरूकता और सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि के अतिरिक्त, हमने पिछले लोकसभा निर्वाचन 2014 में 66.44 प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्राप्त किया। वर्ष 2014 में निर्वाचकों की संख्या 83.4 करोड़ रही जो वर्ष 2009 की तुलना में लगभग 117 करोड़ अधिक रही, जबकि मतदान में लिंग अन्तराल 2009 की तुलना में 4.42 से घट कर 1.55 हो गया। इसके अतिरिक्त 16 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी अधिक महिला मतदान रिकॉर्ड किया गया और इनमें से नौ राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में लोक सभा निर्वाचन में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही।

देश की कुल कामकाजी जनसंख्या में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात 0.36 का है। देश में महिलाओं की औसत आमदनी भी पुरुषों की औसत कमाई के मुकाबले चार गुना कम ही है। यद्यपि राजनीति के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मात्र यही एक क्षेत्र है, जहां देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इस मामले में भारत 20 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल रहते हुए 15वें पायदान पर आ गया है। बीते 50 सालों में भारतीय महिलाओं ने राजनीति में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने में स्वयं दिलचस्पी दिखाई है। इस संदर्भ में बेहद कारगर रहे संवैधानिक प्रावधानों तथा उन नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनसे राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ सकी है। अच्छा तो यह होगा कि ऐसी ही उपलब्धि अन्य क्षेत्रों में भी सामने आए। महिलाओं को हर क्षेत्र में शिखर पर ले जाना है तो राजनीति व सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व कर सकें।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल, सीमा 'महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता', अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर - 2014
2. राजस्थान, पत्रिका 8 मार्च 201
3. धनजी चौरसिया (सितंबर-2011) - 'रोजगार व स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएँ' कुरुक्षेत्र वर्ष 57, अंक
4. इंटरनेट से 5 जोशी, आर. पी. एवं मंगलानी, रूपा - 'पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता' हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000
6. लोकतंत्र समीक्षा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, संयुक्त अंक, जनवरी - सितंबर 2004
7. कुरुक्षेत्र पत्रिका ( जनवरी - 2018 ) - 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' वर्ष 64, अंक 3,
8. 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता', भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन स्दन, अशोका रोड, नई दिल्ली
9. सिंह, पंकज के. - 'समर्थ भारत' प्रकाशक, डायमंड पॉकेट बुक्स लि. नई दिल्ली,
10. कुरुक्षेत्र पत्रिका, 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' - जनवरी 2018